न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 985/2024
अनवान : –

1. प्रदीप कस्वां पुत्र महेन्द्र सिह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भरत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
2. पुष्पा पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
3. श्रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
4. शिशपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
6. संजीव पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
7. सन्दीप पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 12/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 की कुल 6.8950 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 1 प्रत्येक के 3/28 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 के 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 व 7 प्रत्येक के 17/168 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि पर काबिज है। वादी व प्रतिवादीगण ने वाद भूमि का निम्नानुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है–

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पास– रोही मौजा चक 2 जीजीए तहसील नोहर के खाता स0 134/134 के प0न0 420/456 मु0न0 70 के किला न0 6 ता 10 की 1.265 हैक्ट भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 के पास– रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 के प0न0 420/456 मु0न0 70 के किला न0 11/1 की 0.2020 हैक्ट भूमि 12 ता 15 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, प0न0 419/459 मु0न0 97 के किला न0 5–6 की 0.5060 हैक्ट भूमि किला न0 15/1 की 0.0890 हैक्ट कुल 1.809 हैक्ट भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 के पास– रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 के प0न0 419/456 मु0न0 71 के किला न0 1/1 की 0.240 हैक्ट, 3/2 की 0.013 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 4/1 की 0.240 हैक्ट, 4/2 की 0.013 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 6/1 की 0.2280

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हैक्ट, 6/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 7–8 की 0.5060 हैक्ट, 14 की 0.2530 हैक्ट, 15/1 की 0.227 हैक्ट, 15/2 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 रास्ता की भूमि रहेगी।

प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 के पास– रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 के प0न0 418/455 मु0न0 67 के किला न0 8 ता 12 की 1.265 हैक्ट भूमि, 13/1 की 0.107 हैक्ट, 13/2 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 खाला, 13/3 की 0.108 हैक्ट, प0न0 419/459 मु0न0 97 के किला न0 15/2 की 0.164 हैक्ट, 16/1 की 0.2280 हैक्ट, 16/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 25/1 की 0.076 हैक्ट, 25/2 की 0.013 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 2.024 हैक्ट भूमि रहेगी।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 2 जीजीएम सम्वत 2070–73 खाता स0 134/134 पेश किये जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि पर काबिज है। वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी राजीनामा कर रखा है एवं मुताबिक राजीनामा ही काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने नि[illegible] शामलाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के [illegible] रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 की कुल 6.8950 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 1 प्रत्येक के 3/28 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 के 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 व 7 प्रत्येक के 17/168 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि पर काबिज है। वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी राजीनामा कर रखा है एवं मुताबिक राजीनामा ही काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा निम्नानुसार घोषणा की जाती है–

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पास– रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 के प0न0 420/456 मु0न0 70 के किला न0 6 ता 10 की 1.265 हैक्ट भूमि जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा अनुसार रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 के पास– रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 के प0न0 420/456 मु0न0 70 के किला न0 11/1 की 0.2020 हैक्ट भूमि 12 ता 15 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, प0न0 419/459 मु0न0 97 के किला न0 5–6 की 0.5060 हैक्ट भूमि किला न0 15/1 की 0.0890 हैक्ट कुल 1.809 हैक्ट भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 के पास– रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 के प0न0 419/456 मु0न0 71 के किला न0 3/1 की 0.240 हेक्ट, 3/2 की 0.013 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 4/1 की 0.240 हैक्ट, 4/2 की 0.013 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 6/1 की 0.2280 हैक्ट, 6/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 7–8 की 0.5060 हैक्ट, 14 की 0.2530 हैक्ट, 15/1 की 0.227 हैक्ट, 15/2 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 रास्ता की भूमि रहेगी।

प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 के पास– रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 के प0न0 418/455 मु0न0 67 के किला न0 8 ता 12 की 1.265 हैक्ट भूमि, 13/1 की 0.107 हैक्ट, 13/2 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 खाला, 13/3 की 0.108 हैक्ट, प0न0 419/459 मु0न0 97 के किला न0 15/2 की 0.164 हैक्ट, 16/1 की 0.2280 हैक्ट, 16/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 25/1 की 0.076 हैक्ट, 25/2 की 0.013 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 2.024 हैक्ट भूमि मय रास्ता व खाला व जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा अनुसार रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:49 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 985/2024

अनवान : –

1. प्रदीप कस्वां पुत्र महेन्द्र सिह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भरत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
2. पुष्पा पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
4. शिशपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
6. संजीव पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
7. सन्दीप पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन भरवाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 985 सन 2024 निर्णय दिनांक –12/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा निम्नानुसार घोषणा की जाती है–

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पास– रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 के प0न0 420/456 मु0न0 70 के किला न0 6 ता 10 की 1.265 हैक्ट भूमि जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा अनुसार रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 के पास– रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 के प0न0 420/456 मु0न0 70 के किला न0 11/1 की 0.2020 हैक्ट भूमि 12 ता 15 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, प0न0 419/459 मु0न0 97 के किला न0 5–6 की 0.5060 हैक्ट भूमि किला न0 15/1 की 0.0890 हैक्ट कुल 1.809 हैक्ट भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 के पास– रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 के प0न0 419/456 मु0न0 71 के किला न0 3/1 की 0.240 हेक्ट, 3/2 की 0.013 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 4/1 की 0.240 हैक्ट, 4/2 की 0.013 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 6/1 की 0.2280 हैक्ट, 6/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 7–8 की 0.5060 हैक्ट, 14 की 0.2530 हैक्ट, 15/1 की 0.227 हैक्ट, 15/2 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 रास्ता की भूमि रहेगी।

प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 के पास– रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 134/134 के प0न0 418/455 मु0न0 67 के [illegible] 8 ता 12 की 1.265 हैक्ट भूमि, 13/1 की 0.107 हैक्ट, 13/2 की [illegible] 13/3 की 0.108 हैक्ट, प0न0 419/459 मु0न0 97 के किला न0 15/2 की 0.1[illegible] हैक्ट, 16/1 की 0.2280 हैक्ट, 16/2 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:35:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 25/1 की 0.076 हैक्ट, 25/2 की 0.013 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 2.024 हैक्ट भूमि मय रास्ता व खाला तथा जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा अनुसार रहेगी।

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:49 IST
Reason: SelfAttested